## समक्ष – न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक/2017

र/निगरानी/कटनी/भू.रा./2017/3395

लल्लू लाल आत्मज श्री दुलीचन्द सोनी

निवासी जालपा देवी वार्ड शेर चौक

कटनी जिला कटनी म0प्र0

...आवेदक/पुनरीक्षण आवेदनकर्ता

विरुद्ध

श्रीमति रुकमणि ध0प0 स्व श्री साकेत बिहारी मिश्रा

निवासी मध्यप्रदेश समाचार पत्र के बाजू में

राममनोहर लोहिया वार्ड, कुठला जिला कटनी म0प्र0

....अनावेदिका

श्री ........ द्वारा आज दि. 19.9.17 को प्रस्तुत.

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-9-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

### // पुनरीक्षण याचिका //

### आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक न्यायालय तहसीलदार कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/001/अ-74/2016-17 में दिनांक 11.07.2017 को किये गये सीमांकन से व्यथित होकर निम्न तथ्यों और आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका मानूनीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

### // प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि आावेदक ग्राम मुडवारा प0ह0हनं0 43 राजस्वनिरीक्षक मण्डल मुडवारा -1 जिला कटनी में स्थित खसरा नंबर 251/1, 255/1 रकवा क्रमशः 0.60, 0.345हे कुल रकवा 0.405हे का भूमिस्वामी मालिक काबिजदार है। आवेदक ने उक्त भूमि दिनांक 05.03.1984 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की है तथा बैनामा में वर्णित चौहद्दी एवं उसके साथ संलग्न नक्शा अनुसार उक्त खसरा नंबर की भूमि का विधिवत सीमाकंन न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/128/अ-12/2006-07 के माध्यम से किया गया एवं सीमांकन के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन पर बताई गई भूमि पर दिवाल बनाकर निर्विवाद रुप से काबिज कास्त करता चला आ रहा है। **विक्रय पत्र एवं सीमांकन फील्डबुक की छायाप्रति सलंग्न है जो संलग्नक पी/1 है।**

क्रमशः......2

Lalloo Lal Soni

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** – एक/निगरानी/कटनी/भू.रा./2017/3395 **जिला** – कटनी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16.10.2017 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश में तहसीलदार ने गठित दल द्वारा प्रस्तुत नक्शा बटांकन एवं सीमांकन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सीमांकन स्वीकृत किया गया है। सीमांकन की कार्यवाही विधि विरुद्ध तरीके से की गई है और इसके संबंध में जो आधार आवेदक ने अपने निगरानी मेमो में दिए हैं, उसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |